भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 53/2020- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 24 जून, 2020

सा॰ का॰नि॰............ (अ)- सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की शिफ़ारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं॰ 04/2018-केन्द्रीय कर , दिनांक 23 जनवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 53 (अ), दिनांक 23 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् -

उक्त अधिसूचना के तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत देय विलंभ फीस की राशि को उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में उल्लिखित महीनों या तिमाही के लिए जावक प्रदाय की विवरणी **प्ररूप जीएसटीआर-1** में नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन उक्त विवरणी को उक्त तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित तारीख या उससे पहले प्रस्तुत करते है, अधित्यक्त करती है :

तालिका

क्रं.सं. **(1)**	**माह/ तिमाही** **(2)**	**तारीख** **(3)**
1	मार्च 2020	जुलाई, 2020 का 10वां दिन
2	अप्रैल, 2020	जुलाई, 2020 का 24वां दिन

3	मई, 2020	जुलाई, 2020 का 28वां दिन
4	जून, 2020	अगस्त, 2020 का 5 वां दिन
5	जनवरी से मार्च, 2020	जुलाई, 2020 का 17वां दिन
6	अप्रैल से जून, 2020	अगस्त, 2020 का 3 वां दिन।"।

[फा.सं. सीबीईसी- 20/06/09/2019- जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)

निदेशक, भारत सरकार

नोट : मूल अधिसूचना सं . 4/2018- केन्द्रीय कर, दिनांक 23 जनवरी, 2018, जो सा.का.नि. 53 (अ), दिनांक 23 जनवरी 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और आखिरी बार इसे सँशोधित अधिसूचना सं॰ 33/2020 - केन्द्रीय कर, दिनांक 3 अप्रैल, 2020, जो सा॰का॰नि॰ 233 (अ) दिनांक 3 अप्रैल, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।